



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14062024-254707
CG-DL-E-14062024-254707

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2193]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 14, 2024/ज्येष्ठ 24, 1946

No. 2193]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 14, 2024/JYAISHTHA 24, 1946

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो)

(कोफेपोसा स्कंध)

आदेश

नई दिल्ली, 13 जून, 2024

का.आ. 2311(अ).—जबकि, विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत विशेष रूप से अधिकार-प्राप्त, संयुक्त सचिव, भारत सरकार द्वारा उक्त उप-धारा के तहत जारी आदेश सं. पीडी-12001/11/2024- कोफेपोसा दिनांक 06.03.2024 में यह निदेश दिया गया था कि श्री जुबैर अख्तर उर्फ गुड्डू, पुत्र मो. अख्तर, निवासी हतियारा, घुनी, राजारहाट न्यू टाउन, मेथो पाड़ा मस्जिद के पास, कोलकाता-700159 को हिरासत में लिया जाए और आदर्श केंद्रीय कारा, बेउर जेल, पटना में रखा जाए ताकि भविष्य में उन्हें माल की तस्करी करने, माल की तस्करी को बढ़ावा देने और तस्करी के माल का परिवहन करने या छिपाने या रखने, माल की तस्करी में लगे व्यक्तियों को शरण देने या माल की तस्करी को बढ़ावा देने से रोका जा सके।

2. जबकि केन्द्र सरकार के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि पूर्वोक्त व्यक्ति भगोड़ा है या अपने को छिपाए हुए है ताकि आदेश का पालन न किया जा सके।

3. अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा पूर्वोक्त व्यक्ति को निदेश देती है कि सरकारी राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के अंदर वह पुलिस महानिदेशक, पश्चिम बंगाल सरकार, कोलकाता के सामने उपस्थित हो।

[फा सं.पीडी-12001/11/2024-कोफेपोसा]

अनुपम प्रकाश, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(Central Economic Intelligence Bureau)
(COFEPOSA WING)

ORDER

New Delhi, the 13th June, 2024

S.O. 2311(E).—Whereas the Joint Secretary to the Government of India, specially empowered under sub-section (1) of Section 3 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) issued Order No. PD-12001/11/2024-COFEPOSA dated 06.03.2024 under the said sub-section directing that Mr. Md. Zubair Akhter alias Guddu, S/o Mohammad Akhter, R/o Hatiara, Ghuni, Rajarhat New Town, Metho Para Masjid K Pas, Kolkata - 700159 be detained and kept in Adarsh Kendriya Kara, Beur Jail, Patna with a view to preventing him from smuggling goods, abetting the smuggling of goods, engaging in transporting or concealing or keeping smuggled goods, harbouring persons engaged in smuggling goods or in abetting the smuggling of goods in future.

2. Whereas the Central Government has reasons to believe that the aforesaid person has absconded or has been concealing himself so that the Order cannot be executed.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of Section 7 of the said Act, the Central Government hereby directs the aforesaid person to appear before the Director General of Police, Government of West Bengal, Kolkata within 7 days of the publication of this Order in the Official Gazette.

[F. No. PD-12001/11/2024-COFEPOSA]

ANUPAM PRAKASH, Jt. Secy.